


कैलाश बनाम दिनेश वगै०
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)
मुकदमा नम्बर30...../2026 दावा तकास्मा एव स्थाई निषेधाज्ञा

GCMS/RRCMS NO: 2026/55

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.02.2026	<p>वादी की ओर से वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री रामनिवास यादव के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वादपत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 282 लगायत 287, 289 लगायत 292 वाके मौजा कल्याणपुरा तहसील पावटा के संबंध में पूर्व में दिनांक 12.02.2026 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 10 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश है। कैवियट कर्ता अधिवक्ता उपस्थित। कैवियट कर्ता/प्रतिवादी अधिवक्ता को वादपत्र की नकल दिलायी गयी। वादपत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली दि. 26.02.2026 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">J उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)</p>	
26.02.2026	<p>पत्रावली पेश वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 10 की ओर से वकील श्री नरेश यादव उपस्थित आकर वकालतनामा व प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी पेश किया। नकल वादी वकील को दिलायी गयी, शामिल मिसल किया गया। वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी व शेष प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड डाक से तल्बी हेतु पत्रावली दिनांक 09.03.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">J उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)</p>	
09/03/26	<p>व.स. उपखण्ड अधिकारी की याचका के फर्द दिनांक 13/03/26 के पत्रे के</p> <p style="text-align: center;">J उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)</p>	
13/03/26	<p>फर्द के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी/वादी के द्वारा रामनिवास यादव के विवेक विषय के पत्रावली के रूप में देखा गया है। याचका के दावेकारों को सूचना दी। इतलिये वादपत्र के सभी फाट पत्रावली के फर्द के लिए। एक परमनन विषय। पत्रावली का सफलतापूर्वक विषय गणना। वादी</p> <p style="text-align: center;">J उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)</p>	

कैलाश बनाम दिनेश वर्ग 0
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
मुकदमा नम्बर 30...../2026 दावा तकास्मा एव स्थाई निषेधाज्ञा
GCMS/RRCMS NO: 2026/55

आज्ञा विस्तृत रूप से

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	(आज्ञाकार)	<p>का किन्हे 17 नोवंबर 2026 को वरिष्ठ इकी स्टेट पर विज्ञे वर खासि मिया जाता है। पणवकी डेमण्ड दुमाल होकर 500000 से कम हो का 500000 रूपये है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>

होना कि किन्हे 17 नोवंबर 2026 को वरिष्ठ
इकी स्टेट पर विज्ञे वर खासि
मिया जाता है। पणवकी डेमण्ड
दुमाल होकर 500000 से कम हो
का 500000 रूपये है।

होना कि किन्हे 17 नोवंबर 2026 को वरिष्ठ
इकी स्टेट पर विज्ञे वर खासि
मिया जाता है। पणवकी डेमण्ड
दुमाल होकर 500000 से कम हो
का 500000 रूपये है।

होना कि किन्हे 17 नोवंबर 2026 को वरिष्ठ
इकी स्टेट पर विज्ञे वर खासि
मिया जाता है। पणवकी डेमण्ड
दुमाल होकर 500000 से कम हो
का 500000 रूपये है।